1987 का 10) के अधीन, संघ राज्य क्षेत्र दमन तथा दीव के मामले में राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग तथा कृत्यों का निर्वहन भी करेंगे।

[सं. यू. 11030/3/90-यू.टी.एल.]

एस. दत्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th October, 1990

S.O. 823(E).—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that the Administrator of the Union territory of Daman and Diu and Union territory of Dadra and Nagar Haveli shall also exercise the powers and discharge the functions vested in the Government and State Government under the Goa, Daman and Diu Public Moneys (Recovery of Dues) Act, 1986 (Goa, Daman and Diu Act 10 of 1987), in respect of the Union territory of Daman and Diu.

[No. U-11030|3|90-UTL]

S. DUTTA, Jt. Secy.

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 626] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 30, 1990/कार्तिक 8, 1912
No. 626] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 30, 1990/KARTIKA 8, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 1990

का.आ. 823 (अ) :—संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, राष्ट्रपति एतद्द्वारा निर्देश देते हैं कि संघ राज्य क्षेत्र दमन तथा दीव और संघ राज्य क्षेत्र दादरा व नगर हवेली के प्रशासक, गोआ, दमन तथा दीव सार्वजनिक धन (देयताओं की वसूली) अधिनियम, 1986 (गोआ, दमन तथा दीव अधिनियम,